रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04092026-275979
CG-DL-E-04092026-275979

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 713]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 3, 2026/भाद्र 12, 1948
No. 713]	NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2026/BHADRA 12, 1948

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 781(अ).— पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 4 तथा धारा 29 की उपधाराओं (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार पेट्रोलियम नियम, 2002 में आगे संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों के निम्नलिखित मसौदे का प्रस्ताव उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित करने के लिए, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा नियमों को शामिल करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवाए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद, उक्त मसौदे पर विचार किया जाएगा।

उपर्युक्त अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, को संयुक्त सचिव (एम एंड ओआर), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली-110001 को संबोधित किए जा सकते हैं या इसे js.mkt- png@gov.in ईमेल पर भेजे जा सकते हैं।

मसौदा नियम

1. इन नियमों को पेट्रोलियम (संशोधन) नियम, 2026 कहा जा सकता है।

2. पेट्रोलियम नियम, 2002 में, -

(1) नियम 2 में, उप-नियम (1) में, -

(क) खंड (x) के बाद, निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(xक) "जिला अग्निशमन अधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार द्वारा किसी जिले के लिए अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं का प्रभारी नामित किया गया हो, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जिला अग्निशमन अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी सम्मिलित है;";

(ख) खंड (xviक) में, "और जो" शब्दों के पश्चात् "ISO 1496 अथवा" शब्द एवं अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(2) नियम 13 में,

(क) उप-नियम (3) में, शब्दों "अन्य प्राधिकारी को संदेय फीस" के पश्चात् "ई-भुगतान के माध्यम से अथवा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-नियम (4) में,

i. खंड (i) में, उपखंड (क) में, शब्दों "यदि फीस नकद या बैंक ड्राफ्ट द्वारा संदत्त की गई है", के स्थान पर "उसी रीति से जिस रीति से फीस की प्राप्ति हुई है" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ii. खंड (ii) में, शब्दों "अधिमानतः वसूली के छह" के स्थान पर "आवेदन रद्द करने के दो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(3) नियम 14(क) के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**14क. आईएसओ टैंक कंटेनरों का आयात तथा परिवहन. -**

(1) कोई भी व्यक्ति मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक से आयात की अनुमति प्राप्त किए बिना पेट्रोलियम से भरे हुए अथवा भरे जाने के लिए आशयित किसी भी आईएसओ टैंक कंटेनर का आयात नहीं करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आयात की अनुमति चाहने वाला कोई भी व्यक्ति, पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन के ऑनलाइन अनुज्ञापन पोर्टल के माध्यम से, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक को प्ररूप 7 क में आवेदन प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :—

(क) आईएसओ टैंक कंटेनर की पूरी सामग्री को समायोजित करने की पर्याप्त क्षमता सहित प्ररूप 15 में जारी वैध अनुज्ञप्ति;

(ख) निर्माता की निरीक्षण, परीक्षण रिपोर्ट और डिजाइन चित्र, जिनमें डिजाइन के ब्यौरे, टैंक की पानी की क्षमता, इसकी फिटिंग और आईएसओ टैंक कंटेनर के निर्माण की सामग्री के विनिर्देशों के विवरण दिए गए हों, जो टीपीआईए द्वारा विधिवत् प्रमाणित हों;

(ग) टीपीआईए द्वारा जारी हाइड्रोटेस्ट प्रमाण-पत्र और कंटेनर सुरक्षा प्रमाण-पत्र सहित आवधिक निरीक्षण और जांच;

(घ) मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा विधिवत् अनुमोदित सड़क मार्ग से परिवहन के लिए माउंटिंग ड्राइंग;

(ङ) आयात के बंदरगाह से अंतिम उपयोग स्थान तक आईएसओ टैंक कंटेनर की हैंडलिंग और परिवहन के लिए सुरक्षित प्रचालन प्रक्रिया;

(च) अनलोडिंग के पश्चात् आईएसओ टैंक कंटेनर की वापसी अथवा स्थायी आधार पर भारत में उसके प्रतिधारण की अनुमानित तारीख के लिए स्व-घोषणा;

(छ) पहली अनुसूची के भाग ग में यथा-निर्दिष्ट संवीक्षा शुल्क।

(3) पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर और संतुष्ट होने पर, मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक, मुख्य नियंत्रक द्वारा यथाविहित प्रारूप में, अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध आयात अनुमति प्रदान करेगा।

परंतु यह कि जहां इस नियम के अधीन भारत में आईएसओ टैंक कंटेनर आयात करने की अनुमति अनुदत्त करने के लिए आवेदन तथा नियम 75(3) के अधीन भारतीय क्षेत्र के भीतर आईएसओ टैंक कंटेनर में सड़क मार्ग से थोक में पेट्रोलियम "श्रेणी क" या "श्रेणी ख" के परिवहन की अनुमति अनुदत्त करने के लिए आवेदन एक साथ किया जाता है, वहां मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक, नियम 14क और नियम 75(3) की अपेक्षाओं से संतुष्ट होने पर, भारत में आईएसओ टैंक कंटेनर आयात करने और भारतीय क्षेत्र के भीतर आईएसओ टैंक कंटेनर में सड़क मार्ग से थोक में पेट्रोलियम "श्रेणी क" या "श्रेणी ख" का परिवहन करने के लिए, मुख्य नियंत्रक द्वारा यथाविहित प्रारूप में, अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एक संयुक्त अनुमति प्रदान करेगा।

(4) जहां इस नियम के अधीन किया गया आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है और उसके साथ उसमें विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेज़ संलग्न हैं, और आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से सात कार्य दिवस के भीतर ऑनलाइन लाइसेंसिंग पोर्टल के माध्यम से कोई कमी अथवा लिखित आपत्ति संसूचित नहीं की जाती है, तो उक्त अवधि की समाप्ति पर अनुमति प्रदत्त मानी जाएगी।";

(4) नियम 75 में,

(क) उप-नियम (3) में, शब्द 'एक' के स्थान पर 'तीन' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(5) जहां आईएसओ टैंक कंटेनर का आवधिक परीक्षण/हाइड्रो टेस्ट प्रमाण-पत्र वैध है, वहां उप-नियम (3) के अधीन प्रदान की गई अनुमति को मुख्य नियंत्रक अथवा नियंत्रक द्वारा, ऑनलाइन घोषणा के साथ आवधिक निरीक्षण एवं परीक्षण, जिसमें हाइड्रो टेस्ट प्रमाण-पत्र तथा टीपीआईए द्वारा जारी कंटेनर सुरक्षा प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न हो, अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक अथवा उक्त प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तारित किया जा सकेगा।

(6) इस नियम की कोई बात, एक बार उपयोग तथा भरने या डिकैंटेशन के पश्चात् मूल देश को वापस भेजे जाने के लिए आयात किए गए आईएसओ टैंक कंटेनर में पेट्रोलियम श्रेणी 'क' या 'ख' के बहु-माध्यम (मल्टीमोडल) परिवहन पर लागू नहीं होगी, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएँ:

(i) ट्रेलर चेसिस पर आईएसओ टैंक कंटेनर को माउंट किए जाने पर, वाहन की स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी।

(ii) वाहन चेसिस का रजिस्ट्रीकृत लदान भार अथवा सकल वाहन भार अथवा सकल संयुक्त भार मोटर वाहन अधिनियम के लागू उपबंधों के अनुसार वाहन के रजिस्ट्रीकृत लदान भार से अधिक नहीं होगा। प्रत्येक धुरी पर लदान, एआरएआई प्रमाण-पत्र अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र में उल्लिखित उस धुरी की अधिकतम अनुमेय भार-वहन क्षमता के भीतर होगा।

(iii) परिवहन के दौरान किसी वाहन पर पेट्रोलियम से भरा हुआ केवल एक आईएसओ टैंक कंटेनर ही माउंट किया जाएगा।

(iv) सड़क मार्ग द्वारा आईएसओ टैंक कंटेनर वहन करने वाले वाहन में पेट्रोलियम के परिवहन के दौरान षष्ठ अनुसूची में विनिर्दिष्ट सावधानियों का पालन किया जाएगा।

(5) नियम 106 में,

(क) उप-नियम (1) में, अक्षरों और अंकों "आईएस/आईईसी 60079-26" के पश्चात् "(पृथक्करण अवयवों अथवा संयुक्त संरक्षण स्तरों वाले उपकरण के लिए)" चिह्न और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-नियम (3क) में, शब्दों "उपकरण सुरक्षा स्तर (ईपीएल)" के पश्चात् "अथवा इस नियम के उप-नियम (1), (2) और (3)" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ग) उप-नियम (4) के खंड (i) में, शब्दों "सभी आवश्यक आरेखण," का लोप किया जाएगा।

(6) नियम 143 के उप-नियम (1) में, शब्दों "लिखित में" के स्थान पर "पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के ऑनलाइन अनुज्ञापन पोर्टल के माध्यम से" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(7) नियम 144 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"144.अनापत्ति प्रमाणपत्र -

(1) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी, यथास्थिति, मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक है, वहां प्ररूप III, XI, XVII, XVIII या XIX में अनुज्ञप्ति से भिन्न नई अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक, लागू भूमि उपयोग, भवन उपविधियों तथा अन्य सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप किसी रजिस्ट्रीकृत वास्तुकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित, अनुज्ञापन के लिए प्रस्थापित परिसर की स्थिति दर्शाने वाले स्थल-नक्शे की दो प्रतियों सहित, इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए जिला अग्निशमन अधिकारी को आवेदन करेगा कि प्रस्तावित स्थल के लिए आवेदक को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में कोई आपत्ति नहीं है। जिला अग्निशमन अधिकारी, यदि उसे कोई आपत्ति नहीं है, तो आवेदक को ऐसा प्रमाणपत्र प्रदान करेगा। आवेदक उक्त प्रमाणपत्र को प्ररूप IX में अपने आवेदन के साथ, अनुज्ञापन के लिए प्रस्थापित परिसर जिस भूमि पर स्थित है, उस भूमि पर आवेदक के स्वामित्व अथवा विधिपूर्ण कब्जे की वैधता के संबंध में किसी अधिवक्ता द्वारा जारी विधिक राय की एक प्रति सहित, अनुज्ञापन प्राधिकारी को भेजेगा

(2) जिला अग्निशमन अधिकारी द्वारा उप-नियम (1) के अधीन जारी किए गए प्रत्येक प्रमाणपत्र के साथ जिला अग्निशमन अधिकारी की शासकीय मुद्रा के अधीन उसके द्वारा सम्यक् रूप से पृष्ठांकित प्रस्थापित स्थल-नक्शे की एक प्रति होगी।

(3) यथास्थिति, मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक, उप-नियम (1) के अधीन दिया गया प्रमाणपत्र रहित आवेदन को जिला अग्निशमन अधिकारी को उसके विचारों के लिए निर्दिष्ट कर सकता है।

(4) यदि जिला अग्निशमन अधिकारी उसे निर्देश किए जाने पर अथवा अन्यथा, यथास्थिति मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक को संसूचित करता है कि जिस अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया गया है वह उसकी राय में मंजूर नहीं की जानी चाहिए, तो ऐसी अनुज्ञप्ति केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के बिना नहीं जारी की जाएगी।

(5) जिला अग्निशमन अधिकारी यथास्थिति, उप-नियम (1) के अधीन अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) जारी करने के लिए अपनी जांच और एन.ओ.सी. जारी करने या जारी करने से इनकार करने के कार्य को यथासंभव शीघ्र, किन्तु आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर पूरा करेगा।

(6) जहां पेट्रोलियम के भंडारण का स्थान राज्य के नियंत्रणाधीन किसी पत्तन या हवाई अड्डे या रेल के अधिसूचित क्षेत्र के भीतर अथवा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या परमाणु ऊर्जा विभाग के किसी स्थापना के भीतर स्थित है, वहां उप-नियम (1) से (5) में निर्दिष्ट जिला अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं होगा:

बशर्ते कि संबंधित अधिसूचित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी अथवा स्थापना के प्रमुख, यथास्थिति, से पेट्रोलियम भंडारण की स्थापना के लिए सहमति प्राप्त की गई हो।

(7) जिला अग्निशमन अधिकारी निम्नलिखित प्ररूप में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा, अर्थात् :-

प्रोफ़ॉर्मा - अनापत्ति प्रमाण-पत्र

[नियम 144 देखें]

संख्या……………

दिनांक………….

विषय: अनापत्ति प्रमाण-पत्र

श्री/श्रीमती/मैसर्स ………………………………………………… निवासी/पता………………………………………………… द्वारा प्रस्तुत आवेदन संख्या ………………. तारीख………………. के संदर्भ में और पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम 144 के अनुसरण में श्री/श्रीमती/मैसर्स ………………………………………………… निवासी/पता………………………………………………… को उनके परिसर, सर्वेक्षण संख्या ………………./गाटा संख्या ………………./खसरा संख्या ………………. प्लॉट संख्या………………. ग्राम ………………. तालुका/तहसील ………………. जिला ………………. राज्य ………………., जैसा कि स्थल योजना में दर्शित किया है और इसके साथ विधिवत पृष्ठांकित तथा इसके संलग्न है, में पेट्रोलियम नियम, 2002 के अधीन पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण के लिए अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने में कोई आपत्ति नहीं है।

(1) इस अनापत्ति प्रमाण पत्र को जारी करते समय निम्नलिखित विशिष्टियों पर विचार किया गया है, कि -

(क) आपातकाल में फायर टेंडर के लिए साइट तक पहुंच; और

(ख) इमरजेंसी से निपटने के लिए फायर सेवा की तैयारी ।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले ज़िला अग्निशमन अधिकारी के हस्ताक्षर और उनके कार्यालय की सील

टिप्पणः- "प्राधिकरण अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने पर विचार करने के लिए इसके जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वीकार करेगा।"

(8) नियम 149 में, शब्दों "जिला प्राधिकरण" के स्थान पर,

"जिला अग्निशमन अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(9) नियम 150 में,-

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

"(1) नियम 144 के अंतर्गत दिया गया अनापत्ति प्रमाणपत्र जिला अग्निशमन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा रद्द किया जा सकेगा, यदि जिला अग्निशमन अधिकारी या राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि अनापत्ति प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन किया गया है:

बशर्ते कि अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने से पहले लाइसेंसधारी को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।";

(ख) उप नियम (2) में, शब्दों "जिला प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "जिला अग्निशमन अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(10) नियम 152 के उप-नियम (1) में, खण्ड (ii) में , शब्दों "जिला प्राधिकरण" के स्थान पर, "जिला अग्निशमन अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(11) नियम 157 में, उप-नियम (2) का लोप किया जाएगा;

(12) प्रथम अनुसूची में "भाग ग," अनुज्ञप्ति फीस से भिन्न अन्य फीस, क्रम संख्या 9 में , स्तंभ (2) में, शब्दों "विद्युत साधित्र " के पश्चात, "विविधताओं सहित" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(13) द्वितीय अनुसूची में ,-

(क) फार्म 7 क के स्थान पर निम्नलिखित फार्म प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

"फॉर्म 7 क"

[नियम 14क और 75(3) देखें]

भारत में आईएसओ टैंक कंटेनर आयात करने या/और भारतीय क्षेत्र के भीतर आईएसओ टैंक कंटेनर में सड़क मार्ग से थोक में पेट्रोलियम "श्रेणी क" या "श्रेणी ख" का परिवहन करने की अनुज्ञा अनुदत्त करने के लिए आवेदन :

1. वह नाम, जिस पर अनुज्ञा अपेक्षित है :

(i) आवेदक का नाम

(ii) आवेदक का पूरा डाक पता

(iii) दूरभाष नंबर और ई-मेल

2. पेट्रोलियम नियम, 2002 के अधीन प्ररूप 15 में आवेदक द्वारा धारित भंडारण अनुज्ञप्ति की विशिष्टियाँ :

(i) मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक द्वारा जारी भंडारण अनुज्ञप्ति की संख्या और तारीख

(ii) अनुज्ञप्ति की वैधता कब तक है

(iii) पेट्रोलियम की विभिन्न श्रेणी के लिए अनुज्ञप्ति की क्षमता

3. आईएसओ टैंक कंटेनर का विवरण :

(i) मालिक का कोड और क्रमांक

(ii) विनिर्माता की क्रम संख्या

(iii) मॉडल संख्या

(iv) विनिर्माण का देश

(v) विनिर्माण का वर्ष

(vi) अनुमोदित करने वाला देश

(vii) डिजाइन अनुमोदन के लिए प्राधिकृत निकाय

(viii) आईएसओ टैंक कंटेनर और आईएसओ टैंक कंटेनर ढाँचे के विनिर्देश

(ix) विनिर्माता का नाम

(x) अधिकतम स्वीकाय कार्य दबाव

(xi) परीक्षण दबाव

(xii) प्रारंभिक दबाव परीक्षण तारीख

(xiii) डिजाइन तापमान रेंज

(xiv) विनिर्माण की सामग्री

(xv) आईएसओ टैंक कंटेनर की जल क्षमता

(xvi) आईएसओ टैंक कंटेनर का बिना लदे हुए टेयर का वजन

(xvii) पेट्रोलियम का पेलोड

(xviii) किसके द्वारा निरीक्षण और परीक्षण किया गया

(xix) प्रचालन मानदंडों सहित आईएसओ टैंक कंटेनर में फिट की गई सुरक्षा फिटिंग के विनिर्देश

(xx) डिजाइन आरेखण

(xxi) माउंटिंग आरेखण

(xxii) * ____________ से भरा हुआ

(xxiii) पेट्रोलियम का सही रासायनिक नाम और वर्ग

(xxiv) आईएसओ टैंक कंटेनर में भरे गए या भरे जाने के लिए आयातित पेट्रोलियम की किलोलीटर में मात्रा तथा प्रतिशतता में भी

(xxv) अंतिम हाइड्रोलिक परीक्षण की तारीख

4. आईएसओ टैंक कंटेनर माउंटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले यान चेसिस का निर्माण और मॉडल :

(i) सकल लदान भार / सकल यान भार / यान चेसिस का सकल संयुक्त वजन

(ii) ट्रेलर के साथ यान चेसिस का बिना लदान के भार

5. आयात के पत्तन या लदान स्थल का नाम

6. टिप्पणियाँ :

मैं/हम घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियों की मेरे/हमारे द्वारा जाँच कर ली गई है और वे सही हैं। मैं/हम पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों और तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि या नियमों के उपबंधों के अनुसार आईएसओ टैंक कंटेनर में पेट्रोलियम का परिवहन करने का वचनबद्ध करते हैं, जिसका विवरण ऊपर दिया गया है। मैं/हम समझते हैं कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों का कोई भी उल्लंघन पहले अपराध के लिए साधारण कारावास से दंडनीय है जिसे एक मास तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है जिसे एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है और तत्पश्चात् प्रत्येक अपराध के लिए साधारण कारावास, जिसे तीन मास तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना, जो पाँच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

आवेदन की तिथि आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का डाक पता

इस आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों की सूची—

(1) आईएसओ टैंक कंटेनर के लिए आयात अनुज्ञा देने के लिए 5000 रुपये का संवीक्षा फीस या/और भारतीय क्षेत्र के भीतर आईएसओ टैंक कंटेनर में सड़क मार्ग से थोक में "श्रेणी क" या "श्रेणी ख" पेट्रोलियम के परिवहन के लिए 5000 रुपये की फीस, यथास्थिति;

(2) प्ररूप 15 में जारी वैध अनुज्ञप्ति, जिसमें आईएसओ टैंक कंटेनर की पूरी अंतर्वस्तु को समायोजित करने की पर्याप्त क्षमता हो;

(3) टीपीआईए द्वारा विधिवत प्रमाणित आईएसओ टैंक कंटेनर के विनिर्माता की निरीक्षण और परीक्षण रिपोर्ट;

(4) टीपीआईए द्वारा जारी हाइड्रोटेस्ट प्रमाणपत्र और कंटेनर सुरक्षा प्रमाणपत्र (सीएससी) सहित आवधिक निरीक्षण और परीक्षण;

(5) आईएसओ टैंक कंटेनर के डिजाइन विवरण दर्शाने वाली डिजाइन रेखांकन, टैंक की जल क्षमता, इसकी फिटिंग और इसके निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री के विनिर्देशों के विवरण, जो टीपीआईए द्वारा विधिवत प्रमाणित हो;

(6) मुख्य नियंत्रक द्वारा सम्यकतः अनुमोदित सड़क मार्ग से परिवहन के लिए विस्तृत यान माउंटिंग रेखांकन;

(7) आयात के से अंतिम उपयोग अवस्थापन तक आईएसओ टैंक कंटेनर की हैंडलिंग और परिवहन के लिए सुरक्षित प्रचालन प्रक्रिया।

(8) आईएसओ टैंक कंटेनर को उतारने के पश्चात् उसकी वापसी की अनुमानित तिथि अथवा भारत में उसके स्थायी रूप से रखे जाने की स्व-घोषणा।

(ख) प्ररूप 9 में, प्ररूप 14, 15, 16 या विशेष प्ररूप में अनुज्ञप्ति के लिए इस आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज में,-

(i) क्रम संख्या (iii) में, शब्द "जिला प्राधिकारी" के स्थान पर "जिला अग्निशमन अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:

"(viii) अनुज्ञप्ति के लिए प्रस्तावित परिसर जिस भूमि पर स्थित है, उस भूमि पर आवेदक के स्वामित्व अथवा विधिपूर्ण कब्जे की वैधता के संबंध में किसी अधिवक्ता द्वारा जारी विधिक राय की प्रति।";

(ग) प्ररूप XVI में, शर्त 3 में, शब्द "आधा" के स्थान पर "एक-तिहाई" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(14) पाँचवीं अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“छठी अनुसूची

(नियम 75 देखें)

1. अनुज्ञप्ति प्राप्त वाहन को चलाने अथवा उसकी देखरेख के लिए केवल ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों को नियोजित किया जाएगा जो पेट्रोलियम नियमों से भली-भाँति परिचित हों।

2. पेट्रोलियम ले जाने वाले आईएसओ टैंक कंटेनर वाहन के साथ सदैव एक उत्तरदायी व्यक्ति रहेगा तथा पेट्रोलियम के परिवहन के दौरान कम-से-कम दो व्यक्ति उसके साथ रहेंगे।

3. ट्रेलर चेसिस पर आईएसओ टैंक कंटेनर को माउंट किए जाने पर, वाहन की स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी।

4. परंतु, यदि आईएसओ टैंक कंटेनर वाहन के टैंक और कक्ष खाली हों, तो उसे मुख्य नियंत्रक द्वारा इस प्रयोजन के लिए लिखित रूप से अनुमोदित स्थान पर बिना निगरानी के छोड़ा जा सकेगा। अनुज्ञप्तिप्राप्त वाहन में प्रत्येक समय निम्नलिखित सामग्री रहेगी, अर्थात् :—

   (क) कम-से-कम 9 लीटर क्षमता का तथा तेल की आग बुझाने के लिए उपयुक्त एक सुवाह्य अग्निशामक। अग्निशामक को बिना ताले के ऐसे सुगम स्थान पर रखा जाएगा जो वाहन के डिस्चार्ज नलों से दूर हो।

   (ख) वह जिस श्रेणी के पेट्रोलियम का परिवहन कर रहा है, उसकी प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग तेल-रोधी तथा विद्युतीय रूप से सतत होज़ होगा। प्रत्येक होज़ के दोनों सिरों पर ऐसे तेल-रोधी कपलिंग लगे होंगे, जो आईएसओ टैंक कंटेनर वाहन के निर्वहन नल तथा उस प्रवेश पाइप से मेल खाते हों, जिसमें वाहन में वहन किए जा रहे पेट्रोलियम का अनलोड किया जाना है।

   (ग) विद्युत् बंधन के लिए एक मजबूत एवं लचीली केबल होगी। यह केबल कम-से-कम 5 मीटर लंबी होगी तथा इसके दोनों सिरों पर उपयुक्त क्लैम्प या क्लिप लगी होगी।

5. आईएसओ टैंक कंटेनर वाहन में पेट्रोलियम की लोडिंग अथवा अनलोडिंग केवल ऐसे स्थान पर की जाएगी जिसे मुख्य नियंत्रक द्वारा इस प्रयोजन के लिए लिखित रूप से अनुमोदित किया गया हो| परंतु यदि दुर्घटना अथवा खराबी के कारण अनलोडिंग आवश्यक हो जाए, तो समुचित सावधानियाँ बरतते हुए तथा पर्याप्त पर्यवेक्षण में किसी अन्य स्थान पर भी अनलोडिंग की जा सकेगी।

6. आईएसओ टैंक कंटेनर में ले जाए जा रहे पेट्रोलियम का प्रत्यक्ष अंतरण किसी अन्य कंटेनर में अथवा किसी मोटर वाहन या आंतरिक दहन इंजन के ईंधन टैंक में नहीं किया जाएगा।

7. यदि किसी टैंक या कक्ष, पाइप, वाल्व, आपातकालीन डिस्चार्ज नियंत्रण अथवा किसी सुरक्षा फिटिंग में रिसाव हो, वह दोषपूर्ण हो अथवा अन्यथा असुरक्षित हो, तो आवश्यक मरम्मत संतोषजनक रूप से पूर्ण होने तक आईएसओ टैंक कंटेनर में पेट्रोलियम लोड नहीं किया जाएगा। यदि टैंक या कक्ष में रिसाव हो, तो रिसाव का पूर्णतः निराकरण किए जाने तथा सभी टैंकों अथवा कक्षों के लागू परीक्षणों में सफल होने तक उसमें लोडिंग नहीं की जाएगी।

8. आईएसओ टैंक कंटेनर वाहन में पेट्रोलियम लोड अथवा अनलोड करने से पूर्व—

   (क) उसका इंजन बंद कर दिया जाएगा तथा बैटरी को उपयुक्त स्विच अथवा अन्य साधन द्वारा पृथक कर दिया जाएगा;

(ख) उसके पहियों को ब्रेक लगाकर अथवा स्कॉचिंग लगाकर सुरक्षित किया जाएगा;

(ग) उसके चेसिस को उस पाइप के साथ, जिसमें पेट्रोलियम भरा जाना है अथवा जिससे उतारा जाना है, केबल द्वारा विद्युतीय रूप से बॉन्ड किया जाएगा;

(घ) उपयुक्त भराई अथवा डिस्चार्ज होज़ का चयन कर उसके दोनों सिरों को तेल-रोधी कपलिंग द्वारा जोड़ा जाएगा;

(ङ) एक उत्तरदायी व्यक्ति उपस्थित रहेगा तथा लोडिंग अथवा अनलोडिंग समाप्त होने और टैंकों तथा कक्षों को सील किए जाने तक वहीं रहेगा।

9. यातायात संकेतों पर रुकने, अथवा किसी निरीक्षक या नमूना अधिकारी द्वारा रोके जाने के अतिरिक्त, आईएसओ टैंक कंटेनर वाहन किसी सड़क, भीड़भाड़ वाले क्षेत्र अथवा ऐसे स्थान पर नहीं रोका जाएगा जो इन नियमों के अधीन ऐसे वाहनों की लोडिंग, अनलोडिंग अथवा खड़ा करने के लिए लिखित रूप से अनुमोदित न हो।

10. आईएसओ टैंक कंटेनर वाहन पर धूम्रपान, आग, कृत्रिम प्रकाश अथवा ज्वलनशील वाष्प को प्रज्वलित करने में सक्षम किसी भी वस्तु का उपयोग अथवा ले जाना निषिद्ध होगा।

11.आईएसओ टैंक कंटेनर वाहन का उपयोग, पेट्रोलियम के अलावा यात्री या किसी अन्य वस्तु को ले जा ने के लिए नहीं किया जाएगा।

12. आईएसओ टैंक कंटेनर वाहन की मरम्मत वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रेज़िंग या तप्त रिवेटिंग द्वारा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उसके टैंकों, कक्षों, पाइपों और वाल्वों की भली-भांति सफाई और जांच किसी सक्षम इंजीनियर द्वारा न कर ली गई हो और उसके द्वारा लिखित रूप में यह प्रमाणित न कर दिया गया हो कि वे ज्वलनशील वाष्प या तेल से मुक्त हैं।

13. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना आईएसओ टैंक कंटेनर अथवा उसकी सुरक्षा फिटिंगों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

14. इन नियमों तथा इस अनुज्ञप्ति की शर्तों के समुचित अनुपालन का सत्यापन करने अथवा नमूने लेने के लिए किसी भी निरीक्षक अथवा नमूना अधिकारी को प्रत्येक युक्तियुक्त समय पर सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।

15. आईएसओ टैंक कंटेनर वाहन से संबंधित ऐसी किसी दुर्घटना, आग अथवा विस्फोट, जिससे मानव जीवन की हानि हुई हो अथवा किसी व्यक्ति या संपत्ति को गंभीर क्षति पहुँची हो, की सूचना तत्काल निकटतम मजिस्ट्रेट अथवा अधिकारिता रखने वाले निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को तथा दूरभाष/ई-मेल द्वारा मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को दी जाएगी।".

नोट : भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 204(अ) दिनांक 13 मार्च, 2002 के माध्यम से प्रधान नियम प्रकाशित किए गए थे और इसे अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 154(अ) दिनांक 4 मार्च, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

[फा. सं. 11011(21)/1/2021-Distt.-PNG]

ऋचा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2026

G.S.R. 781(E).— The following draft of certain rules further to amend the Petroleum Rules, 2002 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 4 and sub-sections (2) and (3) of section 29 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934), is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing the draft rules are made available to the public;

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by the Central Government.

The objections and suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (M&OR), Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi-110001 or sent by email at: js.mkt-png@gov.in.

Draft Rules

1. These rules may be called the Petroleum (Amendment) Rules, 2026.

2. In the Petroleum Rules, 2002,-

(1) in rule 2, in sub-rule (1),-

(a) after clause (x), the following clause shall be inserted, namely:-

"(xa) "District Fire Officer" means the officer designated by the State Government to be in charge of the Fire and Emergency Services for a district, by whatever name called, and includes any officer authorised by the State Government to perform the functions of the District Fire Officer;"

(b) in clause (xvia), after the words, "marking as per", the words and figures, "ISO 1496 or" shall be inserted;

(2) in rule 13,-

(a) in sub-rule (3), after word, "paid", words, "through e-payment or" shall be inserted;

(b) in sub-rule (4),-

i. in clause (i), in sub-clause (a), for the words, "if the fee has been paid in cash or by bank draft", words "in the same manner as that of receipt of fees" shall be substituted;

ii. in clause (ii), for the words, "preferably within six months of the realization", words "within two months of the rejection" shall be substituted;

(3) For rule 14A, the following rule shall be substituted, namely: -

"**14A. Import and transport of ISO tank containers. -**

(1) No person shall import any ISO tank container filled or intended to be filled with petroleum without obtaining import permission from the Chief Controller or Controller.

(2) Any person seeking import permission under sub-rule (1) shall submit an application in FORM VII (A) through the online licensing portal of the Petroleum and Explosives Safety Organisation to the Chief Controller or Controller along with the following documents, namely: -

(a) valid license issued in FORM XV having adequate capacity to accommodate the whole contents of the ISO tank container;

(b) manufacturer's inspection, test reports and design drawings showing design details, water capacity of the tank, its fittings and particulars of specifications of the materials of construction of the ISO tank container duly certified by TPIA;

(c) periodic inspection and testing including Hydro Test Certificate and Container Safety Certificate issued by TPIA;

(d) mounting drawing for transportation by road duly approved by the Chief Controller or Controller;

(e) safe operating procedure for handling and transportation of the ISO tank container from the port of import to the end-use location;

(f) self-declaration for the approximate date of return of ISO tank container after unloading or its retention in India on a permanent basis;

(g) scrutiny fees as provided in PART C of the FIRST SCHEDULE.

(3) On receipt of complete application and on being satisfied, the Chief Controller or Controller shall grant import permission valid for a maximum period of three years in the format as may be prescribed by the Chief Controller.

Provided that where an application for grant of permission to import ISO Tank Container in India under this Rule and permission to transport Petroleum Class A or Class B in bulk by road in ISO Tank Container within Indian territory under Rule 75 (3) is made simultaneously, the Chief Controller or Controller on being satisfied with the requirements of Rule 14A and 75(3), shall grant a combined permission in the format as may be prescribed by the Chief Controller to import ISO Tank Container in India and to transport Petroleum Class A or Class B in bulk by road in ISO Tank Container within Indian territory valid for a maximum period of three years.

(4) Where an application is made under this rule is complete in all respects and is accompanied by all the documents specified therein, and no deficiency or written objection is communicated through the online licensing portal within seven working days from the date of submission of the application, the permission shall be deemed to have been granted on the expiry of the said period.";

(4) in rule 75,-

(a) in sub-rule (3), for the word, "one", word "three" shall be substituted;

(b) after sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted, namely: -

"(5) Where the periodic test/Hydro Test Certificate of ISO Tank Container remains valid, permission granted under sub-rule (3) may be extended by the Chief Controller or Controller for a maximum period up to three years or till the validity of the certificate, whichever is earlier, on an online declaration along with copy of periodic inspection and testing including Hydro Test Certificate and Container Safety Certificate issued by TPIA.

(6) Nothing in this rule shall apply to multimodal transportation of petroleum Class A or B in ISO tank container imported for one time use and return to the country of origin after filling or after decantation provided the following conditions are fulfilled:

(i) upon mounting of the ISO tank container in trailer chassis, the stability of the vehicle shall be ensured.

(ii) Registered laden weight or gross vehicle weight or gross combined weight of the vehicle chassis shall not exceed the registered laden weight of the vehicle complying with the applicable provisions of the Motor Vehicle Act. The laden weight on each axel shall be within the maximum allowable load bearing capacity of each axel as mentioned in ARAI certificate or equivalent.

(iii) Only single ISO tank container filled with petroleum shall be mounted on a vehicle during transportation.

(iv) The precautions specified in SIXTH SCHEDULE shall be complied during transportation of petroleum in ISO tank container carrying vehicle by road.";

(5) in rule 106,-

(a) in sub-rule (1), after the letters and figures "IS/IEC 60079-26", the sign and words "(for Equipment with Separation Elements or combined Levels of Protection)" shall be inserted;

(b) in sub-rule (3A), after the words "Chief Controller," the words and figures "or as per sub-rule (1), (2) and (3) of this rule." shall be inserted;

(c) in sub-rule (4), in clause (i), the words "all necessary drawings," shall be omitted;

(6) in rule 143, in sub-rule (1), for words "in writing", words "through the online licensing portal of the Petroleum and Explosives Safety Organisation" shall be substituted;

(7) For rule 144, the following rule shall be substituted, namely: -

"144. No-Objection Certificate.-

(1) Where the licensing authority is the Chief Controller or the Controller, as the case may be, an applicant for a new licence other than a licence in Forms III, XI, XVII, XVIII, or XIX shall apply to the District Fire Officer with two copies of the site-plan duly certified by a registered architect conforming to the applicable land use, building bye-laws and other statutory requirements, showing the location of the premises proposed to be licensed for a certificate to the effect that there is no objection, to the applicant receiving a licence for the site proposed and District Fire Officer shall, if he sees no objection, grant such certificate to the applicant who shall forward it to the licensing authority with his application in Form IX, accompanied by a copy of the legal opinion issued by an advocate regarding the validity of the applicant's title to, or lawful possession of, the land on which the premises proposed to be licensed is situated.

(2) Every certificate issued by the District Fire Officer under sub-rule (1) shall be accompanied by a copy of the plan of the proposed site duly endorsed by him under his official seal.

(3) The Chief Controller or the Controller as the case may be, may refer an application not accompanied by certificate granted under sub-rule (1) to the District Fire Officer for his observations.

(4) If the District Fire Officer, either on a reference being made to him or otherwise, intimates to the Chief Controller or the Controller as the case may be, that any licence which has been applied for should not, in his opinion, be granted, such licence shall not be issued without the sanction of the Central Government.

(5) The District Fire Officer shall complete his inquiry for issuing NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) under sub-rule (1) and shall complete the action for issue or refusal of the NOC, as the case may be, as expeditiously as possible but not later than one month form the date of receipt of application by him.

(6) Where the location of storage of petroleum is within the notified area of a Port or Airport or Railways under the control of the State, or establishment of Indian Space Research Organisation or Department of Atomic Energy, NO OBJECTION CERTIFICATE from the District Fire Officer referred to in sub-rules (1) to (5) shall not be required.

Provided that consent for establishment of petroleum storage from the competent authority of concerned notified areas or head of the establishment, as the case may be, is obtained.

(7) District Fire Officer shall issue a no objection certificate in the following proforma, namely: -

Proforma No Objection Certificate

[See rule 144]

No……………

Date………….

Subject: No objection certificate

With reference to the application No.……. dated ……. submitted by………….and in pursuance of rule 144 of the Petroleum Rules, 2002, there is no objection for granting licence under the Petroleum Rules, 2002 to Shri/Smt./M/s.………………………… address………………… for storage of petroleum products in their premises at Survey No………./Gata No……..…/Khasra No.……..………Plot No……..…..,Village…………Taluka/Tehsil………………District…………..State…………………………a s shown in the site plan duly endorsed and enclosed herewith.

The following particulars have been considered while issuing this no-objection certificate, that-

(a) accessibility of the site to the fire tenders in case of emergency; and

(b) preparedness of fire services for combating the emergencies.

Signature of the District Fire Officer issuing no objection certificate with his office seal

Note: The licensing authority shall accept the no objection certificate within a period of three years from the date of its issue for considering the grant of licence.";

(8) in rule 149, for words, "District Authority", the words, "District Fire Officer" shall be substituted;

(9) in rule 150,-

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(1) A no-objection certificate granted under rule 144 shall be liable to be cancelled by the District Fire Officer or the state Government, if the District Fire Officer or the state Government is satisfied, that condition specified in the no-objection certificate has been contravened:

Provided that before cancelling a no-objection certificate, the licensee shall be given a reasonable opportunity of being heard.";

(b) in sub-rule (2), for words, "District Authority", the words, "District Fire Officer" shall be substituted;

(10) in rule 152, in sub-rule (1), in clause (ii), for words, "District Authority", the words, "District Fire Officer" shall be substituted;

(11) in rule 157, sub-rule (2) shall be omitted;

(12) in FIRST SCHEDULE, in PART C FEE OTHER THAN LICENCE FEE, in Sl. No. 9, in column (2), after the words, "Electric Apparatus", the words, "including variants" shall be inserted;

(13) in SECOND SCHEDULE,-

(a) for FORM VII A, the following FORM shall be substituted, namely: -

"FORM VII A

[See rules 14A and 75(3)]

Application for the grant of permission to import ISO tank container in India or/and transport Petroleum Class A or Class B in bulk by road in ISO tank container within Indian territory:

1. Name in which permission is required:
   (i) Applicant's name
   (ii) Applicant's full postal address
   (iii) Contact Number and E-mail
2. Particulars of storage licence held by the applicant in FORM XV under the Petroleum Rules, 2002:
   (i) Number and date of storage licence issued by the Chief Controller/Controller
   (ii) License valid up to
   (iii) Licensed Capacity for different Class of petroleum
3. Description of the ISO tank container:
   (i) Owner's code and serial number
   (ii) Manufacturer's serial number
   (iii) Model number
   (iv) Country of manufacture
   (v) Year of manufacture
   (vi) Approval country
   (vii) Authorised body for design approval
   (viii) Specification of ISO tank container and ISO tank container framework
   (ix) Name of manufacturer
   (x) Maximum allowable working pressure
   (xi) Test pressure
   (xii) Initial pressure test date
   (xiii) Design temperature range
   (xiv) Material of construction
   (xv) Water capacity of the ISO tank container
   (xvi) Unladen tare weight of ISO tank container
   (xvii) Payload of the petroleum product
   (xviii) Inspected and tested by
   (xix) Specification of the safety fittings fitted to the ISO tank container including operating parameters
   (xx) Design drawing
   (xxi) Mounting drawing
   (xxii) *Filled with ________________________
   (xxiii) True chemical name and class of petroleum

(xxiv) Quantity of Petroleum filled or intended to be filled in the ISO tank container in kilolitre and also in percentage

(xxv) Date of last hydraulic test

4. Make and model of the vehicle chassis to be used for ISO tank container mounting:

i. Gross laden weight or gross vehicle weight or gross combined weight of the vehicle chassis

ii. Unladen weight of vehicle chassis with trailer

5. Name of the port of import or place of loading

6. Remarks:

I/We declare that the particulars given above have been checked up by me/us and are correct. I/We undertake of transport petroleum in ISO tank container particulars of which are given above, in accordance with the provisions of the Petroleum Act, 1934, and the rules framed thereunder and any other law or rules for the time being in force. I/We understand that any contravention of the said Act and the Rules framed thereunder is punishable for the first offence with simple imprisonment which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both and for every subsequent offence with simple imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.

Date of
application

Signature of applicant

Postal address of the applicant

Documents required to be submitted with this application-

(1) a scrutiny fee of Rs. 5000 for grant of import permission for ISO tank container or/and Rs. 5000 for transport of petroleum Class A or Class B in bulk by road in ISO tank container within Indian territory, as applicable;

(2) valid licence issued in FORM XV having adequate capacity to accommodate whole contents of the ISO tank container;

(3) manufacturer's inspection and test reports of the ISO tank container duly certified by the TPIA;

(4) periodic inspection and testing including hydro test certificate and Container Safety Certificate issued by TPIA;

(5) design drawing showing the design details of the ISO tank container, water capacity of the tank, its fittings and particulars of specifications of the materials used in construction thereof duly certified by TPIA;

(6) approved detailed vehicle mounting drawing for transportation by road duly approved by the Chief Controller;

(7) Safe operating procedure for handling and transportation of the ISO tank container from the port of import to the end-use location;

(8) self-declaration for the approximate date of return of ISO tank container after unloading or its retention in India on a permanent basis.";

(b) in FORM IX, in Documents required to be submitted with this application for a Licence in Forms XIV, XV, XVI or in special Forms,-

i. in Sl. No. (iii), for words, "District Authority", the words, "District Fire Officer" shall be substituted;

ii. after Sl. No. (vii), the following Sl. No. shall be inserted, namely:-

"(viii) copy of the legal opinion issued by an advocate regarding the validity of the applicant's title to, or lawful possession of, the land on which the premises proposed to be licensed is situated.";

(c) in FORM XVI, in condition 3), for the words "one half", words "one third" shall be substituted;

(14) after FIFTH SCHEDULE, the following schedule shall be inserted, namely: -

"SIXTH SCHEDULE

(See rule 75)

1. Only responsible persons who are conversant with Petroleum Rules shall be employed for driving the licensed vehicle or attending to it.
2. The vehicle carrying Petroleum ISO container shall be constantly attended to by a responsible person and by at least two persons while it is transporting petroleum.
3. Upon mounting of the ISO tank container in trailer chassis, the stability of the vehicle shall be ensured.
4. Provided that the ISO tank container vehicle may, if its tanks and compartments are empty, be left unattended in a place approved for the purpose in writing, by the Chief Controller. The licensed vehicle shall at all times carry
    a. a portable fire extinguisher of capacity not less than 9 litres and suitable for extinguishing oil fires. The extinguisher shall be kept unlocked at an easily accessible position which shall be away from the discharge faucets of the vehicle.
    b. A separate oil tight and electrically continuous hose for each class of petroleum it is carrying, the hoses shall have at each end oil-light coupling to match the discharge faucet of the ISO tank container vehicle and the inlet pipe into which the petroleum carried in the vehicles is to be unloaded.
    c. a strong and flexible cable for electrical bonding; the cable shall be at least 5 meters long and shall have at each and a suitable clamp or clip.
5. The ISO tank container vehicle shall not be loaded or unloaded except in a place approved for the purpose, in writing, by the Chief Controller: Provided that the ISO tank container vehicle may be unloaded at any other place with all due precautions and under adequate supervision if such unloading is necessitated by an accident or breakdown.
6. Petroleum carried in the ISO tank container shall not be directly transferred in to any container or into the fuel tank of any motor conveyance or an internal combustion engine.
7. The ISO tank container shall not be loaded if any tank or compartment, pipe valve, emergency discharge control or any safety fitting becomes leaky, defective or otherwise insecure until necessary repairs have been carried out satisfactorily, and in the event of any leak in the tanks or compartments, until the leak is thoroughly repaired and all the tanks or compartments pass the applicable tests.
8. Before petroleum is loaded into or unloaded from the ISO tank container vehicle
    a. its engine shall be stopped and the battery shall be isolated by a proper switch or otherwise.
    b. its wheels shall be secured by brakes or by scotching.
    c. its chassis shall be electrically bonded by a cable with the pipe into or from which it is to be unloaded or loaded;
    d. the correct filling or discharge hose shall be selected and connected by oil-tight coupling at both ends;
    e. a responsible person shall be in attendance ad remain so until loading or unloading is over and the tanks and compartments have been sealed.
9. Except when called upon the traffic signals or required by an Inspector or a Sampling Officer, the ISO tank container vehicle shall not stop on any road, congested area or a place which is not a place approved in writing, under these rules for loading, unloading or stabling of such vehicles.

10. No smoking and no fire or artificial light or any article capable of igniting inflammable vapour shall be allowed on the ISO tank container vehicle.
11. The ISO tank container vehicle shall not be used for carrying passenger or any article other than petroleum.
12. The ISO tank container vehicle shall not be allowed to be repaired by welding, soldering, brazing, or hot riveting until its tanks, compartments, pipes and valves have been thoroughly cleaned and examined by a competent engineer and certified by him in writing to be free from inflammable vapour or oil.
13. No alteration in the ISO tank container or its safety fittings shall be carried out without the previous sanction in writing of the Chief Controller of Explosives.
14. Every facility shall be given at all reasonable time to any inspector or sampling officer for ascertaining that the rules and the conditions of this licence are duly observed or for drawing samples.
15. Any accident, fire or explosion occurring in the ISO tank container vehicle, which is attended with loss of human life or serious injury to person or property shall be immediately reported to the nearest Magistrate or to the officer-in-charge of the nearest police station having jurisdiction and by telephone/email to the Chief Controller of Explosives.".

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 204(E), dated the 13th March, 2002 and last amended *vide* notification number G.S.R. 154(E), dated the 4th March, 2024.

[F. No. 11011(21)/1/2021-Distt.-PNG]

RICHA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
RAVINDER KUMAR
Digitally signed by RAVINDER KUMAR
Date: 2026.09.04 13:22:13 +05'30'